

कार्यालय तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक, संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)

राज्य सरकार के आदेशानुसार 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी डी0एल0सी0 की दरें दिनांक 01.04.2015 से लागू

क्र0सं0	जोन नं0	चको का नाम	डी0एल0सी0 दरें दिनांक 12.7.2013 से लागू प्रति है0			डी0एल0सी0 दरें दिनांक.01.04.2015 से प्रति है0 में लागू			वि0वि0
			मोघे के पास	मध्य /टेल	बरानी	मोघे के पास	मध्य /टेल	बरानी	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	
1	1	1 से 13-14 से 27-29 एमएपी, 1 से 4 व 6 से 17 बीजीपी, 1 से 6 डीएलपी 1 से 5 डीएनजी, 16-19 एफटीपी, 1 से 5 एचआरपी, 1 से 6-8-9 आईडीजी, 1-2-4 से 12 केएसडी, 1 से 4 एलएलडब्लू, 2 से 14 -16-18-20-21 एमजेडी, 13 से 15-17 और 16-18-19-20 एमकेएस, 1 से 9 एमएमके 6 एनजीआर, 1 से 9 एनकेआर 1 से 10 एनटीडब्लू, 1 से 15 पीटीपी, 1 आरआरडब्लू, 1 से 4 एसटीपी, 9-11 से 13, 14 एसबीएन 1 से 3 एसएनजी (3से 6 एनकेआर, 6 एनजीआर, तथा 11 एएमपी, 3 एमजेडी, 5-6 एनटीडब्लू सड़क से 200 मीटर छोड़कर)	734966	676522	367783	808470	744180	404240	
2	2	7 आईडीजी	903210	719382	451605	993540	791320	496770	
3.	3	3 केएसडी	903210	839810	451605	993540	923791	496770	
4.	4	5 बीजीपी	945714	819090	472857	1040290	901000	520150	
5.	5.	1 व 2 आरटीपी नं0पा0 सीमा से बाहर सड़क से 200 मीटर छोड़कर	2165934.4	1965810	1082967	2382530	2162400	1191270	
6.	6	13 एमएमपी	855394	796950	427697	940940	876650	470470	
7.	7	15-17 एमजेडी	855394	814660	427697	940940	896130	470470	
8.	8.	19 एमजेडी सड़क से 200 मीटर छोड़कर	925350	924462	462675	1017890	1016910	508950	
9.	9.	1 एमजेडी सड़क से 200 मीटर छोड़कर	1792252	1344190	896126	1971480	1478610	985740	
10	10	3 व 4 आरटीपी नं0पा0 सीमा से बाहर सड़क से 200 मीटर छोड़कर	2165934.4	1965810	1082967	2382530	2162400	1191270	
11	11	3 व 5 एनजीआर सड़क से 200 मीटर छोड़कर	855394	719382	427697	940940	791320	470470	
12	12	20 एफटीपी	976175	969625	488088	1073800	1066590	536900	
13	13	1 व 2 आरटीपी नं0पा0 सीमा से अन्दर सड़क से 200 मीटर छोड़कर	2620196.6	2357555	1310098	2882220	2593320	1441110	
14	14	3 आरटीपी नं0पा0 सीमा के अन्दर सड़क से 200 मीटर छोड़कर	3274933.2	2948716	1637467	3602430	3243590	1801220	
15	15	4 आरटीपी नं0पा0 के अन्दर सड़क से 200 मीटर छोड़कर	2620196.6	2358089	1310098	2882220	2593900	1441110	

कार्यालय तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक, संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)

राज्य सरकार के आदेशानुसार 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर डी0एल0सी0 दिनांक 01.04.2015 से दरें लागू

क्र0सं0	जोन नं0	कार्लॉनी मोहल्ला का नाम	डी0एल0सी0 दरें दिनांक 12.07.13 से लागू प्रति वर्ग मीटर				डी0एल0सी0 दरें दिनांक 01.04.2015 से लागू प्रति वर्ग मीटर				वि0वि0
			आवासीय प्रथम दर	आवासीय द्वितीय दर	व्याया0 प्रथम दर	व्याया0 द्वितीय दर	आवासीय प्रथम दर	आवासीय द्वितीय दर	व्याया0 प्रथम दर	व्याया0 द्वितीय दर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1	नई मंडी की बड़ी दुकाने(आधा भाग व्याया0 व आधा भाग द्वितीय व्या0 दर)	14350.0	0	28515	14350	15790	0	31370	15790	
2	2	नई धान मंडी की छोटी दूकाने (बस स्टैण्ड के सामने वाले धान मंडी के प्रथम गेट के पश्चिम दिशा वाली दुकानों व दक्षिण दिशा खुलती दुकाने व भुपसिंह सहारण की दुकान वाली लाईन में आधा भाग उत्तर दिशा वाली दुकाने पुरीलाईन)	0	0	48530	35955	0	0	53390	39560	
3	3	पुरानी धान मंडी (बड़ी दुकाने) (आगे का आधा भाग प्रथम दर व्याया0 व पीछे का आधा भाग द्वितीय व्या0 व मुख्य जरनल मार्केट के आगे का आधा भाग व्याव0 प्रथम दर तथा पीछे का आवासिय क्षेत्र	14525	0	28515	15056	15980	0	31370	16570	
4	4.	तहबाजारी पुरानी धान मंडी (तहबाजारी के प्रत्येक चोराह में दोनो दिशाओं पूर्व पश्चिम) की और जाने वाली सड़क तथा पश्चिम में जाने वाली सड़क तक तथा पश्चिम में जाने वाली रोड़ जनरल मार्केट तक । उक्त दोनो सड़कों पर उत्तर दक्षिण खुलती दुकानों का तहबाजारी के द्वितीय दर लगेगी ।	0	0	87670	81470	0	0	96440	89620	
5.	5	जनरल मार्केट का अविकसित क्षेत्र	10000	0	16737	0	11000	0	18420	0	
6.	6.	जनरल मार्केट का मुख्य व्याया. क्षेत्र (दोनो दिशाओ में आधा आधा भाग 50 फुट)	0	0	39141	24175	0	0	43060	26600	

7.	7.	नई आबादी बंसल पैलेस सिनेमा वाली सड़क की दोनों ओर की दुकानों को छोड़कर अन्दर का आबादी का क्षेत्र मस्जिद से रेल्वे फाटक तक का क्षेत्र 40 फुट छोड़कर अन्दर का आबादी का क्षेत्र तथा धनेश कोटन मील से रा0मा0वि0 तक अरोड़वशं धर्मशाला के सामने की बस्ती लुणाराम का मोहल्ला पावर हाउस से दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क वाटर वर्कस से पिछे अन्तिम चौराह तक तथा मीरा कॉलेज के पिछे शमशान भुमी का क्षेत्र	6820	6290	23560	19835	7510	6920	25920	21820
8.	8.	मुख्य बस स्टैण्ड से भगतसिंह चौक से होते हुए मस्जिद तक व मस्जिद से रेल्वे फाटक तक तथा मस्जिद से बंसल पैलेस के अन्तिम छोर तक व इसी रोड़ पर हाई कलास टेलर के सामने वाली रोड़ सोहन मरेजा के घर तक (इस रोड़ पर चौक में भी व्याया0 क्षेत्र इस रोड़ पर 40 फुट गहरा तक व्याया0 क्षेत्र जो कि चौडाई में लगभग 15 फुट व्याया0 लगेगा)	12824	10274	38079	26920	14110	11310	41890	29620
9.	9.	उधमसिंह चौक पर खुलती दुकाने (डीआर हॉस्टल के अन्तिम छोर तक) डबवाली रोड़ पर ज्ञान प्रकाश गिलवाला कोठी के अन्तिम छोर तक	0	0	21960	0	0	0	24160	0
10	10	डीआर हॉस्टल के बाद से ताज मैरीज के अन्तिम छोर तक मैन रोड़ पर 40 फुट तक व्याया0 क्षेत्र तथासड़क के पिछे (पुर्व में नहर तक व पश्चिम में रेल्वेलाईन तक)3 आरटीपी में काटेगये प्लाट	4872	3189	14435	11690	5360	3510	15880	12860
11	11	ज्ञान प्रकाश गिलवाला कोठी के अन्तिम छोर से सड़क के दोनो ओर का व्याया0 क्षेत्र हरियाणा सीमा तक(उत्तर व दक्षिण खुलते प्लाट में 40 फुट तक का व्याया0) पूर्व में 60 फुट तक का व पश्चिम में रेल्वे लाईन का बिच का क्षेत्र, पुरा व्याया0 क्षेत्र	2925	2393	13285	8860	3220	2640	14620	9750
12	12	उधम सिंह चौक से डबवाली रोड़ पर(100 फुट छोड़कर) अन्दर का भाग गुरनानक बस्ती बिश्नोई मंदीर के पास ग्रा0वि0 की बस्ती मुख्य सड़क को छोड़कर कॉलेज ग्राउड का अन्दर का भाग (100 फुट छोड़कर)	1950	2393	11070	10185	2150	2640	12180	11210
13	13	बीरबल कॉलोनी भाखड़ा नहरी कॉलोनी रेलवे लाईन का पश्चिम क्षेत्र गोशाला तक (भूपेद्र वर्मा के पीछे वाली गली को छोड़कर)	2215	1995	6376	6023	2440	2200	7020	6630
14	14	बंसल पैलेस सिनेमा से भाखड़ा नहर तक (100 फुट) नहर से आगे नाथवाना रोड़ पर	3367	0	10894	9653	3710	0	11990	10620
15	15	भगतपुरा रोड़ पर के0आर0 स्कुल तक सड़क के दोनो ओर की दुकाने (40 फुट व्याया0 छोड़कर पीछे का आवासीय होगा)	2834	2393	12395	8236	3120	2640	13640	9060
16	16	के0 आर स्कुल से आगे नहर तक 40 फुट व्याया0 छोड़कर पीछे आवासीय होगा ।	2569	2126	12752	8501	2830	2340	14030	9360
17	17	भगतपुरा रोड़ पश्चिम दिशा की ओर कर क्षेत्र धानक मोहल्ला का विकसीत क्षेत्र तथा बिश्नोई मोहल्ला सरकारी हस्पताल के पीछे का क्षेत्र	2163	2040	11335	9388	2380	2250	12470	10330

18	18	हरीजन बस्ती धानक मोहल्ला अविकसीत क्षेत्र नहर की तरफ गैर आबादी तथा तहसील के पीछे का क्षेत्र	1242	1100	4960	4164	1370	1210	5460	4580	
19	19	नई धान मंडी के पुराने कुए के पिछे आरपार दुकानों को छोडकर (धानमंडी के प्रथम गेट से पश्चिम दिशा में खुलती दुकाने तथा व्यापार मण्डल के उत्तर दिशा में दक्षिण दिशा में खुलती दुकाने छोडकर	0	0	17890	12222	0	0	19680	13450	
20	20	बस स्टैण्ड से बंसल पैलेस रोड के दोनो ओर की दुकाने (नई धान मंडी की बड़ी दुकानों का पीछे का भाग छोडकर) 40 फुट का व्याया0 क्षेत्र होगा उसके पीछे का आवासीय क्षेत्र होगा बस स्टैण्ड के अन्दर व अन्दर की सब्जी मंडी की दुकाने तथा भुपसिंह सहारण की लाईन में उत्तर दिशा में खुलती दुकानों को छोडकर उसके दक्षिण दिशा में खलती दुकाने तथा गुरुदवारें रोड के दोनो ओर का क्षेत्र	9671	8500	16737	10185	10640	9350	18420	11210	
21	21	ताज मैरिज पैलेस से (को छोडकर) कैन्ची तथा कैन्ची से आगे हनुमानगढ रोड पर डेरा सोचा सोदा तक तथा टिब्बी रोड पर रीको के आगे तथा हरियाणा सीमातक (कृषि भूमि में अगर 40 फुट गहरा टुकडा बिकता है तो व्याया0 दर होगी)	1489	1330	13195	12310	1640	1470	14520	13550	
22	22	रीको कि निर्धारित दर			506		0	0	560	0	
23	23	रीको का क्षेत्र (रीको क्षेत्र में बेचान होने पर वहां के व्याया0 क्षेत्र)	0	0	1050	0	0	0	1160	0	

कार्यालय तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक, संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज0)

राज्य सरकार के आदेशानुसार 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी डी0एल0सी0 की दरें दिनांक 01.04.2015 से लागू

क्र0सं0	जोन नं0	गांव का नाम	डी0एल0सी0 दरें दिनांक 12.07.2013 से लागू प्रति वर्ग मीटर				डी0एल0सी0 दरें दिनांक 01.04.2015 से प्रति वर्ग मीटर में लागू				वि0वि0
			आवासीय प्रथम दर	आवासीय द्वितीय दर	व्याया0 प्रथम दर	व्याया0 द्वितीय दर	आवासीय प्रथम दर	आवासीय द्वितीय दर	व्याया0 प्रथम दर	व्याया0 द्वितीय दर	
1	2	जण्डवाला सिखान, शाहपीनी, ढाबा, किशनपुरा उत्तराधा, भगतपुरा दीनगढ़,ढाणी बखतावरसिंह वाली,सिंहपुरा,मालारामपुरा,इन्द्रगढ़, रासूवाला , फतेहपुर ढोलनगर, प्रतापनगर, मोरजण्ड सिखान,इन्द्रपुरा बुगलावाली, किकरवाली, संतपुरा, नुकेरा हरिपुरा,भाखरावाली शेरगढ़ अमरपुरा जालु बोलावाली, लीलावाली, नगराना,चक हीरासिंहवाला लम्बीढाब, नाथवाना, शेरगढ़ (आद्योगिक में परिवर्तन की गई भूमि को छोटे छोटे भुखण्डों में बेचान करने पर व्या0 दर लगेगी)	567	0	1560	0	630	0	1720		
1		रतनपुरा (हनुमानगढ़ रोड़ से 100 मीटर छोडकर)	1108	0	3030	0	1220	0	3340		
2	2	मानकसर (आद्योगिक में परिवर्तन की गई भूमि को छोटे छोटे भुखण्डों में बेचान करने पर व्या0 दर लगेगी)	640	0	1754	0	710	0	1930		